एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 02, अंक: 05 (सितम्बर-अक्टूबर, 2022)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

भारत में किस्म पंजीकरण प्रक्रिया

(*अनिल कुल्हैरी, डॉ. एस.एस. राजपूत, प्रमोद, अनिता एवं केसर मल चौधरी)
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
*संवादी लेखक का ईमेल पता: kulherianil@gmail.com

- प्रत्येक किस्म को मूल्यांकन के 3 चरणों से गुजरना पड़ता है।
- प्रारंभिक उपज मूल्यांकन परीक्षण (IET) या प्रारंभिक उपज परीक्षण (PYT) में परीक्षण के लिए अपने स्थानीय कार्यक्रमों में किए गए मूल्यांकन के आधार पर ब्रीडर्स अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों का योगदान करते हैं। ये परीक्षण प्रत्येक क्षेत्र में चयनित स्थानों की संख्या में आयोजित किए जाते हैं। साथ ही, इन प्रविष्टियों को पैथोलॉजिस्ट को महत्वपूर्ण बीमारियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए आपूर्ति की जाती ळें
- प्रारंभिक उपज मूल्यांकन परीक्षण (IET) या प्रारंभिक उपज परीक्षण (PYT) में उपज, रोग और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से अर्हता प्राप्त करने वाली प्रविष्टियों का परीक्षण यूनिफॉर्म रीजनल ट्रायल्स (URT) में किया जाता है। इन परीक्षणों को उन्नत किस्म परीक्षण (AVT) या समन्वित किस्म परीक्षण (CVT) भी कहा जाता ळें ये परीक्षण प्रत्येक क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं और प्लॉट का आकार IET से बड़ा होता है। परीक्षणों के दौरान, विभिन्न रोगों, कीटों और गुणवत्ता लक्षणों की प्रतिक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है।
- दूसरे चरण में उपयुक्त पाई गई प्रविष्टियों का URT में फिर से मूल्यांकन किया जाता है और साथ ही साथ पैथोलॉजिस्ट, कीटविज्ञानी, नेमाटोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट और गुणवत्ता मूल्यांकन समूहों को उन कारकों के लिए व्यापक रूप से प्रविष्टियों का अध्ययन करने के लिए आपूर्ति की जाती है जो अपने स्वयं के अनुशासन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। वास्तविक माप अन्य मापदंडों पर भी किए जाते हैं। एग्रोनॉमी ग्रुप इन प्रविष्टियों का मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के कृषि संबंधी चर जैसे कि बुवाई की तारीख, उर्वरकों के स्तर और सिंचाई की संख्या आदि के लिए उनकी अनुकूलन क्षमता के लिए करता है। महत्वपूर्ण शाकनाशी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के लिए इनका कभी–कभी अध्ययन किया जाता है। इन परीक्षणों के बाद फसल कार्यशाला में आलोचनात्मक चर्चा की जाती है।
- विमोचन के लिए किस्मों की पहचान के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कार्यशाला में बहुविषयक वैज्ञानिकों की एक विशेष समिति गठित की गई है। SAUs और सरकारी अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित किस्मों का परीक्षण संबंधित राज्यों के भीतर सीमित स्थानों पर किया जाता है।
- केन्द्रीय बीज समिति (CSC) ने 1982 में बताया कि संबंधित अखिल भारतीय फसल सुधार परियोजना में राज्य महत्व की किस्मों का भी परीक्षण किया जा सकता है। सभी राज्य अब समन्वित परीक्षणों के लिए अपने नमूने जमा कर रहे हैं, हालांकि कुछ को इस निर्णय पर आपत्ति है।
- समन्वित परीक्षणों में राज्य किस्मों के एक साथ परीक्षण की अवधारणा का पूरे देश में राज्य सरकारों और उनके अनुसंधान संस्थानों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। केंद्रीय किस्मों के साथ–साथ सभी राज्य किस्मों के एक साथ परीक्षण से राज्य की किस्मों को पर्यावरण की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक्सपोजर मिलता है। इससे उन किस्मों की पहचान करने में मदद मिलेगी जो बीमारियों और कीटों के लिए अत्यधिक प्रवण हैं और जिनकी रिहाई कुछ अन्य राज्यों में समस्या पैदा कर सकती है।

- प्लांट ब्रीडर द्वारा बेहतर जीनोटाइप की पहचान से जनता को तभी फायदा हो सकता है जब इसे व्यावसायिक गुणन के लिए पेश किया जाए। इसलिए, एक ऐसी प्रणाली को बनाए रखना आवश्यक है जहां व्यावसायिक उत्पादन के लिए आशाजनक जीनोटाइप की मात्रा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रक्रिया को किस्मों का विमोचन(as release of the varieties) कहा जाता है। रिलीज सिस्टम का उद्देश्य नई विकसित किस्मों को उन क्षेत्रों में सामान्य खेती के लिए जनता के सामने पेश करना है जहां यह उपयुक्त है।
- यदि किसी क्षेत्र में खेती के लिए किस्मों के चुनाव में दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है। किस्मों के आधिकारिक विमोचन की प्रथा अक्टूबर, 1964 में केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय किस्म विमोचन समिति (CVRC) और राज्य स्तर पर राज्य किस्म विमोचन समिति (SARC) के गठन के साथ शुरू हुई।
- CVRC ने नवंबर, 1969 तक कार्य किया, जब CSC द्वारा स्थापित बीज अधिनियम, 1966 द्वारा इसके कार्यों को अपने हाथ में ले लिया गया।
- CVRC ने फसल मानकों, अधिसूचना और किस्मों के विमोचन (CSC on CS, N&RV) पर एक केंद्रीय उप–समिति का गठन किया।
- उप–समिति केंद्रीय स्तर पर किस्मों के विमोचन और अधिसूचना के कार्यों का निर्वहन करती है, जबकि राज्य बीज उप–समितियां (SSSCs) राज्य स्तर पर इसी तरह के कार्यों का निर्वहन करती हैं।
- CSC और इसकी उप–समिति में बीज अनुसंधान, उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण में शामिल सभी एजेंसियों जैसे राज्य सरकारों, एससीए, एसएयू, आईसीएआर संस्थानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बीज उत्पादक एजेंसी और बीज किसानों के लिए उचित प्रतिनिधित्व है।